

मंत्री सारंग ने वार्ड 39 में पार्क का किया भूमि-पूजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बुधवार को नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 स्थित नवीन नगर में नवीन पार्क के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्क के निर्माण से स्थानीय रहवासियों और आसपास के नागरिकों को स्वच्छ, हरा-भरा एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र में भी नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को गति दी जा रही है।

युवती को कार में बैठकर ले जाने का मामला, अपहरण का प्रकरण दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर के लालबाई-फूलबाई क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती को कार में बैठकर ले जाने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का पिता पुलिस विभाग में वाहन चालक है। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात करीब 8 बजे युवती घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बिना नंबर की काली कार से दो युवक वहां पहुंचे और युवती को जबकन कार में बैठकर ले गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को उर्दुपुरा निवासी ध्रुव कुमावत के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

खुद के डॉक्टर बनने आए देशभर से साधक



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: आरोग्य केंद्र द्वारा रोग निवारण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो दस दिनों तक चलेगा। शिविर में देशभर से आए साधकों को प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, एक्जुप्रेसर, एक्जुपंकचर, शिरोधारा और पोटली मसाज के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। शिविरार्थियों को प्राकृतिक उपचार, उपवास, अपक्व आहार, रसाहार और फलाहार के जरिए स्वस्थ रहने की कला सिखाई जा रही है। मेडिकल डायरेक्टर डॉ.

निगम ने नालियों में गोबर बहाने और खुले में मांस विक्रय करने वालों पर की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर पालिक निगम द्वारा शहर में नाफ-सफाई, कचरा प्रबंधन तथा नागरिकों के स्वास्थ्यको ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले व्यवसायियों से निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने तथा खाद्य पदार्थ एवं मांस का व्यवसाय निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम अमले ने नाला-नालियों में गोबर बहाने वाले छह डेयरी संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 18 हजार रुपये स्पॉट फाइन/जुर्माने के रूप में वसूल किए। वहीं, खुले में मांस विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चार प्रकरणों में आठ हजार रुपये की राशि वसूल की गई। इस प्रकार कुल 10 प्रकरणों में 26 हजार रुपये स्पॉट फाइन/जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। निगम आयुक्त संस्कृति जैन



सभी आयु वर्ग के लोगों को मिलेगा लाभ

मंत्री सारंग ने कहा कि नवीन नगर में पार्क के निर्माण से बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार के साथ सार्वजनिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक वातावरण मिल सके। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

स्वदेशी उत्पादों और गांधी के विचारों से जुड़ीं नवनिध स्कूल की छात्राएं



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: नवनिध पब्लिक स्कूल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ‘पीपुल्स एजुकेशन प्रोग्राम’ 2026 के तहत दो दिवसीय आयोजन किए गए। ये आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशन में हुए। विद्यार्थियों को खादी, स्वदेशी उत्पादों, आत्मनिर्भरता और महात्मा गांधी के विचारों से परिचित कराया गया।

28 सितंबर को आयोजित

निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने खादी, ग्रामोद्योग और सतत जीवनशैली जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। 28 और 29 सितंबर को हुई वाद-विवाद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने स्वदेशी उत्पादों और आधुनिक भारत में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता पर पक्ष-विपक्ष में तार्किक विचार रखे। 29 सितंबर को विद्यालय सभागार में सेमिनार आयोजित किया गया। प्राचार्या अमृता मोटवानी ने कहा कि भारत

पर्यावरण और जीवनशैली पर प्री-सीओपी 31 राष्ट्रीय संगोष्ठी आज

नप्र, भोपाल: ‘पर्यावरण और जीवनशैली’ विषय पर प्री-सीओपी31 परामर्श राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गुरुवार, 1 अक्टूबर को विज्ञान भवन में किया जाएगा। संगोष्ठी में जलवायु और सतत विकास के बीच समन्वय मजबूत करने तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भूमिका पर विचार-विमर्श होगा। विशेषज्ञ और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जीवनशैली में आवश्यक बदलाव से जुड़े विषयों पर विचार साझा करेंगे। संगोष्ठी ‘लिविंग द राइट वे’ पहल की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई, सतत विकास और जीवनशैली में बदलाव के लिए सरकार और समाज के समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना है। पहले के तहत सरकार, संस्थाओं, समुदायों और नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से जलवायु-सक्षम, समतापूर्ण और सतत समाज के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर रचनात्मक प्रस्तुति प्रतियोगिता



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत वंदे मातरम् गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रचनात्मक प्रस्तुति प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 15 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने वंदे मातरम् के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। निर्णायक मंडल में प्रकाशन अधिकारी डॉ. मो. रेहान, अंतरंग प्रदर्शनी वीथि संकुल

ट्रेन का कचरा उतारने की बात पर हत्या, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

नप्र, भोपाल: ट्रेन की सफाई के बाद कचरा उतारने की बात को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश नीलू संजीव श्रीगीऋषि की अदालत ने आरोपी रामबाबू वाल्मीकि, लक्ष्मीनारायण और श्याम बाबू वाल्मीकि को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामला 15 फरवरी 2019 का है। राजेश खरे ने रेलवे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजधानी एक्सप्रेस से उतरने वाले कचरे को लेकर उसका और आरोपियों का पहले से विवाद चल रहा था। इसी दौरान रामबाबू, श्यामबाबू, लक्ष्मीनारायण और उनके साथी लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे। आरोपियों ने कचरा नहीं उतारने की बात कहते हुए गाली-गलौज की और राजेश खरे समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया।

बैरागढ़ में पंजाब नेशनल बैंक से साधु वासवानी स्कूल तक सड़क निर्माण शुरू

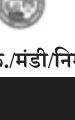
नप्र, भोपाल: नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा नागरिकों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत वर्षों के कारण मुख्य मार्गों और सड़कों पर हुए गड्ढों तथा क्षतिग्रस्त सड़कों के संधारण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इसी क्रम में बैरागढ़ क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक से साधु वासवानी स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वर्षा का सिलसिला थमने के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी सड़कों के निर्माण और गड्ढों को भरने का कार्य कराया जा रहा है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देशों के पालन में निगम के यांत्रिक विभाग द्वारा मुख्य मार्गों और सड़कों के गड्ढों तथा क्षतिग्रस्त हिस्सों के संधारण का कार्य लगातार किया जा रहा है। पूर्व से चल रहे कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत बैरागढ़ क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक से साधु वासवानी स्कूल तक सड़क निर्माण के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया गया है।



मध्यप्रदेश पुलिस आवास निगम
अधोसंरचना विकास निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, भद्रभदा रोड संभाग
भोपाल-01, Mobile No. 9425601545
E-mail ID : pe.policehousingbp11@mp.gov.in
क्र. मप्रपुआअविन/1174/पस/भोपाल-01/तश/2026
भोपाल, दिनांक : 30.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति

भोपाल संभाग-01 के अंतर्गत राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल पुलिस मुख्यालय (SISF) भोपाल में लिफ्ट एवं वातानुकूलन प्रदाय एवं प्रतिस्थापन कार्य हेतु निविदा क्रमांक-16/2026-27 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक-539881) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक-14.10.2026 सायं 5:00 बजे तक ऑनलाइन खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : <https://www.mptenders.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/128306/2026 परियोजना यंत्री



कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति श्यामपुर
जिला-सीहोर (म.प्र.)
क्र./मंडी/निर्माण/26-27/262
श्यामपुर, दिनांक: 29.09.2026

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति श्यामपुर 'ख' श्रेणी एवं उपमंडी अहमदपुर में ई-टेंडरडिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत 60 मे. टन क्षमता के एवं 10 मे. टन क्षमता की अतिरिक्त प्लेट सहित संरचना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक क्रमशः 2026 MPSAM 539711 1 एवं 2026 MPSAM 539713 1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें दिनांक 01.10.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 16.10.2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट : आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति श्यामपुर
जिला-सीहोर

म.प्र. माध्यम/128294/2026

भारसाधक अधिकारी

कृषि उपज मण्डी समिति श्यामपुर
जिला-सीहोर

दिव्यांग यात्री से पूरा किराया लेना बस संचालक को पड़ा भारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: दिव्यांग यात्रियों को

बस किराए में मिलने वाली निर्धारित 50 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं देना निजी बस संचालकों के लिए अब परेशानी का कारण बन सकता है। रायसेन में एक दिव्यांग यात्री से पूरा किराया वसूलने और उसके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने की शिकायत पर महादेव ट्रेवलस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने मामले की जांच कर बस संचालक पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला है। अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांग यात्रियों को शासन द्वारा निर्धारित किराया रियायत का लाभ देना अनिवार्य है। दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय की ओर से 11 सितंबर को रायसेन के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र भेजकर शिकायत की जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महादेव ट्रेवलस द्वारा दिव्यांग यात्रियों से निर्धारित 50 प्रतिशत छूट देने के बजाय पूरा किराया लिया जा रहा था। साथ ही यात्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करने की बात भी सामने आई थी। आयुक्त कार्यालय ने इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और शासन के निर्देशों का उल्लंघन माना था। इसके बाद परिवहन विभाग ने जांच पूरी कर कार्रवाई की। रायसेन के जिला परिवहन अधिकारी ने 28 सितंबर को भेजी रिपोर्ट में बताया कि शिकायत के आधार पर बस संचालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया है।

के प्रभारी अधिकारी एन. सकर्मांचा सिंह और हिंदी अधिकारी राजेंद्र झारिया शामिल रहे। प्रतिभागियों का मूल्यांकन रचनात्मकता, विषय-वस्तु, प्रस्तुति कौशल और प्रभावशीलता के आधार पर किया गया। जनसंपर्क अधिकारी हेमंत बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि ऐसे आयोजनों से हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ युवाओं को आधुनिक डिजिटल माध्यमों के सकारात्मक उपयोग और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है।

संतनगर की समस्याओं को लेकर विधायक से मुलाकात, हर समस्या हल करने का भरोसा



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: संतनगर की समस्याओं को लेकर पूंन्य सिंधी पंचायत सहित क्षेत्र के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रबुद्धजनों ने बुधवार को हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की। बैठक के दौरान क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और बाजारों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने कहा कि संतनगर की शांति, सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के

लिए अपराधिक और असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभावी रोक लगाना आवश्यक है। पंचायत अध्यक्ष माधु चांदवानी ने फाटक रोड के व्यापारियों के विस्थापन और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। लोगों ने संतनगर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और नशीले पदार्थों के सेवन पर भी चिंता व्यक्त की।

समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वे संतनगर के विकास और क्षेत्र की जनता की परेशानियों

को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं। उन्होंने दुर्गा उत्सव और दशहरा पर्व के बाद क्षेत्र की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर एक-एक कर हल करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर मप्र आवास संध के पूर्व अध्यक्ष सुशील वासवानी, सिंधी पंचायत अध्यक्ष माधु चांदवानी, राजकुमार वाधवानी, वासुदेव वाधवानी, राम बंसल, चंदनानी, कन्हैया इसरानी, चंद्र प्रकाश इसरानी, नरेंद्र लालवानी, दयाल डेटानी, राजेंद्र मनवानी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य प्रबुद्धजन मौजूद रहे।



कार्यालय नगर पालिक निगम,भोपाल जोन क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 05 विज्ञप्ति

लीज रेंट दुकान/नामांतरण सूचना
लीज रेंट दुकान खाते में निम्नानुसार नामांतरण प्रस्तावित है :-

क्रं	वर्तमान खातेदार का नाम	संपत्ति भवन भूमि का पता	दुकान की आई. नं.	प्रस्तावित नामांतरण हेतु खातेदार का नाम	दुकान की साईज	नामांतरण का आधार
1	श्री हीरो वतनानी पिता ख. श्री पारुमल वतनानी	दुकान नं. जी-13 मल्टी लेवल पार्किंग बैरागढ़	30000000640	मोहम्मद केफ खान पिता श्री मोहम्मद शमीम खान	13.28 वर्ग मी	रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर

उक्त नामांतरण पर यदि किसी भी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर आपत्ति लिखित में साक्ष्य एवं दस्तावेज सहित जोनल अधिकारी कार्यालय जोन क्रं 01 में प्रस्तुत करें। यदि नियत समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 167 के अंतर्गत अभिलेखों में नामांतरण कर दिया जावेगा।

जोनल अधिकारी जोन क्रं.01 नगर निगम भोपाल

सू. क्र. 808/026/027



हकीम सैय्यद जियाउल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय/चिकित्सालय
कार्यालय, प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
कोलार-नेहरू नगर बायपास रोड, मैनिट के पीछे, भोपाल
Ph. : 0755-2970354, Web. : www.gumcbhopal.in, E-mail : gumcbhopal@gmail.com
क्रमांक /क्रय/2026/5050
भोपाल, दिनांक : 29.09.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

हकीम सैय्यद जियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय भोपाल में निम्नलिखित निविदाओं के आमंत्रण हेतु विभिन्न पन्नों को सूचित किया जाता है:-

क्र.	निविदा का प्रकार	पोर्टल का नाम	ई-निविदा प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1.	स्थानीय महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में पेशास एवं चिकित्सा गारण्टी योजनातर्गत यूनानी ओषधि प्रदाय करने की द्वितीय ई-निविदा	MP Tender gov.in	20.10.2026 सायं 05.00 बजे तक	21.10.2026 सायं 06.00 बजे
2.	स्थानीय महाविद्यालय में प्रिंटिंग संबंधी ई-निविदा	MP Tender gov.in	20.10.2026 सायं 05.00 बजे तक	21.10.2026 सायं 06.00 बजे
3.	स्थानीय महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में कैमरा मेटेनेन्स की ई-निविदा	MP Tender gov.in	20.10.2026 सायं 05.00 बजे तक	21.10.2026 सायं 06.00 बजे
4.	स्थानीय महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों के संचालन हेतु फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की सत्र 2026-27 की तृतीय ई-निविदा	MP Tender gov.in	20.10.2026 सायं 05.00 बजे तक	21.10.2026 सायं 06.00 बजे
5.	स्थानीय महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार सामग्री आपूर्ति की ई-निविदा	MP Tender gov.in	20.10.2026 सायं 05.00 बजे तक	21.10.2026 सायं 06.00 बजे
6.	स्थानीय महाविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी हेतु ऑल इन वन कम्प्यूटर कुल नग 25 की आपूर्ति हेतु ई-निविदा	Gem.gov.in	20.10.2026 सायं 05.00 बजे तक	21.10.2026 सायं 06.00 बजे
7.	स्थानीय महाविद्यालय से सम्बद्ध महिला छात्रावास में निवासरत छात्राओं हेतु मेस संचालन की ई-निविदा	MP Tender gov.in	20.10.2026 सायं 05.00 बजे तक	21.10.2026 सायं 06.00 बजे

नोट:- उक्त निविदाओं में संशोधन होने पर स्थानीय महाविद्यालय की वेबसाइट www.gumcbhopal.in पर प्रदर्शित किया जावेगा। उक्त निविदा के नियम एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

म.प्र. माध्यम/128307/2026
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी